संख्या- 90/2022/1902/छप्पन-002-56-1099-8-2021

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2022

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए 1181.2793 है0 भूमि के अर्जन/अधिग्रहण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 207/ए0एफ0-2022-116/2016 दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए 1181.2793 है0 भूमि के अर्जन/अधिग्रहण हेतु अवशेष अनुमानित धनराशि रू0 3,83,52,98,532.00 (रूपए तीन अरब तिरासी करोड़ बावन लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत रू0 28,90,71,56,332/- (रूपए अट्ठाइस अरब नब्बे करोड़ इकहत्तर लाख छप्पन हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) में से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के सापेक्ष रू0 1084.00 करोड़ (रूपए एक हजार चौरासी करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-52/2021/724/छप्पन-2021-31/2016(Stage-2) दिनांक 27 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत की गयी थी। इस प्रकार 37.50 प्रतिशत के अनुसार धनराशि रू0 1,83,624.50 तत्समय जारी नहीं की गई।

3- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए 1181.2793 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण के लिए अनुमानित धनराशि रू0 39,13,41,29,417.98 (उनतालिस अरब तेरह करोड़ इकतालिस लाख उन्तीस हजार चार सौ सत्रह रूपए अठ्ठानवे पैसे मात्र) पर शासनादेश संख्या-1836/छप्पन-2022-31/2016 दिनांक 28 नवम्बर, 2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्तानुसार अनुमोदित धनराशि रू0 39,13,41,29,417.98 (उनतालिस अरब तेरह करोड़ इकतालिस लाख उन्तीस हजार चार सौ सत्रह रूपए अठ्ठानवे पैसे मात्र) के अन्तर्गत NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत रू0 14,67,52,98,532.00 होती है, जिसमें से शासनादेश संख्या-52/2021/724/छप्पन-2021-31/2016(Stage-2) दिनांक 27 मार्च, 2021 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 10,84,00,00,000.00 को कम करते हुए रू0 3,83,52,98,532.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए 1181.2793 है0 निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 39,13,41,29,417.98 (उनतालिस अरब तेरह करोड़ इकतालिस लाख उन्तीस हजार चार सौ सत्रह रूपए अठ्ठानवे पैसे मात्र) में से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार अवशेष धनराशि रू0 3,83,52,98,532.00 (रूपए तीन अरब तिरासी करोड़ बावन लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए 1181.2793 है0 निजी भूमि के अर्जन/अधिग्रहण हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 39,13,41,29,417.98 (उनतालिस अरब तेरह करोड़ इकतालिस लाख उन्तीस हजार चार सौ सत्रह रूपए अठ्ठानवे पैसे मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) शासनादेश संख्या-52/2021/724/छप्पन-2021-31/2016(Stage-2) दिनांक 27 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,83,52,98,532.00 (रूपए तीन अरब तिरासी करोड़ बावन लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-181/दस-2022-23, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 90/2022/1902(1)/002-56-1099-8-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

7- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

9- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।